न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 47/2018

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 52/18

राजस्थान सरकार जरिये श्री भागचन्द गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक, पीसांगन।

................प्रार्थी

बनाम

1.श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कंवरीलाल निवासी–मांगलियावास जिला–अजमेर।

........अप्रार्थी

उपस्थित :–

1. श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
2. श्री उत्तम गुरुबक्षानी अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 31.10.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 30.03..2018 को थानाधिकारी, पुलिस थाना मांगलियावास एवं श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के निर्देशानुसार प्रार्थी प्रर्वतन निरीक्षक, श्री खान मोहम्मद खान पर्वतन निरीक्षक, मसूदा के साथ एन.एच. –8 पर स्थित फौजी होटल लामाना तहसील पीसांगन के मालिक भैरूसिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह की उपस्थिति में जांच करने पर पिकअप वाहन संख्या RJ-01-GA 5898 में बी.पी.सी कम्पनी के कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा पिकअप के पास ही जमीन पर 3 घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन, 10 व्यवसायिक सिलेण्डर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 अग्निशमन यन्त्र,1 कांटा (प्लेटफार्म) एक बांसूरी (गैस भरने का यंत्र) रखे हुए पाये गये। उपस्थित होटल मालिक ने उक्त सभी सामग्री एवं वाहन अप्रार्थी के होना बताया। वक्त जांच मौके पर जानकारी कर अप्रार्थी को मौके पर बुलाकर उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ना ही इन गैस सिलेण्डरों की प्राप्ति, परिवहन, आपूर्ति इत्यादि के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में मौके से उक्त समस्त सिलेण्डर व पिकअप को जब्त कर सिलेण्डर, कांटा, बांसूरी, अग्निशमन यंत्र को श्री रमेशचन्द्र पुत्र गणेशीलाल वर्मा, निवासी पीसांगन, मैनेजर पीसांगन इण्डेन गैस सर्विस को सुपुर्दगी में दिये गये तथा पिकअप RJ-01-GA 5898 को मोहनलाल पुत्र श्री हजारीलाल हैड कानि0बेल्ट नं0 1052 पुलिस थाना मांगलियावास को सुपुर्दगी में दी गई। इस तरह से प्रकरण 25 सिलेण्डर मय 167.9 किलोग्राम LPG के अवैध भण्डारण का होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल. पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 के क्लॉज–3 (1)(ख) 4 (1)(क), क्लाज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्त शुदा 12 घरेलू सिलेण्डर (BPC), 3 घरेलू सिलेण्डर (Indane), 10

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

व्यवसायिक सिलेण्डर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 अग्निशमन यंत्र, 01 कांटा (प्लेटफार्म), 01 बांसूरी तथा एक पिकअप RJ-01-GA 5898 को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को मूल प्रकरण एवं सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 30.03..2018 को थानाधिकारी, पुलिस थाना मांगलियावास की सूचना व जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के निर्देशानुसार प्रार्थी, श्री खान मोहम्मद खान पर्वतन निरीक्षक, मसूदा के साथ एन.एच. –8 पर स्थित फौजी होटल लामाना तहसील पीसांगन के मालिक भैरूसिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह की उपस्थिति में जांच करने पर पिकअप वाहन संख्या RJ-01-GA 5898 में बी.पी.सी कम्पनी के कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये तथा पिकअप के पास ही जमीन पर 3 घरेलु गैस सिलेण्डर इण्डेन, 10 व्यवसायिक सिलेण्डर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 अग्निशमन यन्त्र, 1 कांटा (प्लेटफार्म) एक ब्रांसूरी (गैस भरने का यंत्र) रखे हुए पाये गये। होटल मालिक द्वारा उक्त सभी सामग्री एवं वाहन अप्रार्थी के होना बताया। वक्त जांच अप्रार्थी को मौके पर बुलाकर उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछताछ करने पर उनके द्वारा न तो कोई संतोषजनक जवाब दिया गया ना ही इन गैस सिलेण्डरों की प्राप्ति, परिवहन, आपूर्ति इत्यादि कें संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी का उक्त कृत्य एल.पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 के क्लॉज–3 (1)(ख) 4 (1)(क), क्लाज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 12 घरेलू सिलेण्डर (BPC), 3 घरेलू सिलेण्डर (Indane), 10 व्यवसायिक सिलेण्डर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 अग्निशमन यंत्र, 01 कांटा (प्लेटफार्म), 01 बांसूरी तथा एक पिकअप RJ-01-GA 5898 को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा ना तो अवैध रिफलिंग का कार्य किया गया है और ना ही अप्रार्थी पर इनको ब्लेक पर बेचने का आरोप है। जब्त घरेलू गैस सिलेण्डरो की गैस ऐजेन्सी के द्वारा बिल व डायरियॉ जारी की हुई है। रसद विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को द्वारा उक्त दस्तावेजात की जांच भी की गई । इसके बावजूद भी उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध बनाकर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा सभी 25 सिलेण्डरों को घरेलू गैस सिलेण्डर बताये गये है जबकि इनमें खाली व्यवसायिक सिलेण्डर भी है। प्रकरण में जब्त वाहन पिकअप RJ-01-GA 5898 को सुपुर्दगी पर छोडने हेतु श्री अनुज पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवसी मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला–अजमेर द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए कथन किया कि जब्त पिकअप वाहन प्रार्थी का है। प्रार्थी द्वारा अपने वाहन में प्रार्थी व उसके भाईयों व पडौसियों के सिलेण्डर भारत पेट्रोलियम के ब्ल्यू फलेम भारत गैस एजेन्सी, चन्द्रवरदायीनगर, अजमेर से लाये गये थे। उसी दिन प्रार्थी की रिश्तेदारी में विवाह समारोह होने के कारण वह अपना वाहन मय सिलेण्डर, फौजी होटल लामाना

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पर खडा/छोडकर चला गया था। होटल मालिक की सूचना पर प्रार्थी विवाह समारोह छोडकर तुरन्त मौके पर पहूँच कर मौजूद अधिकारियों को गैस सिलेण्डरों की डायरियाँ एवं अन्य दस्तावेज दिखाये गये थे, उनके द्वारा जप्त सामग्री एवं वाहन न्यायालय से छुडवाने हेतु कहा गया। प्रार्थी अपने परिवार का जीवन यापन इसी पिकअप वाहन की कमाई से करता है। जप्त पिकअप वाहन मांगलियावास थाने पर खुले आसमान के नीचे खडे होने से वाहन के खराब होने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर उक्त जप्त सिलेण्डर एवं मारूति वेन को छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। थानाधिकारी, थाना मांगलियावास एवं प्रवर्तन निरीक्षक दल द्वारा बरवक्त जांच अप्रार्थी के पुत्र के नाम से रजिस्टर्ड पिकअप वाहन संख्या RJ-01-GA 5898 में बी.पी.सी कम्पनी के कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डर, एवं वाहन के पास ही इण्डेन कम्पनी के 3 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 10 व्यवसायिक सिलेण्डर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 अग्निशमन यन्त्र, 1 कांटा (प्लेटफार्म) एक बांसूरी (गैस भरने का यंत्र) बरामंद किये गये। अप्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त सिलेण्डर एवं जप्त सामग्री के बारे में संतोषजनक जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर ही प्रार्थी द्वारा इनकी जप्ती की कार्यवाही की गई। अप्रार्थी के घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध परिवहन व भण्डारण का कृत्य एल.पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 के क्लॉज–3 (1)(ख) 4 (1)(क), क्लाज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाज़ा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके से जप्त सामग्री 12 घरेलू सिलेण्डर (BPC), 3 घरेलू सिलेण्डर (Indane), 10 व्यवसायिक सिलेण्डर, 2 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर, 01 अग्निशमन यंत्र, 01 कांटा (प्लेटफार्म), 01 बांसूरी को राजसात किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत अवैध परिवहन के उपयोग मे लिये जाने के फलस्वरूप वाहन पिकअप RJ-01-GA 5898 पर रूपये 50,000/– (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना कायम किया जाता है। राशि जमा होने पर उपरोक्त वाहन के किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। आदेश प्रति सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र के संलग्न हों। प्रार्थना पत्र दर्ज/फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31..10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner